समाहरणालय, मधेपुरा।

(शस्त्र शाखा)

-: आदेश :-

अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 2399 दिनांक 17-06-2015 के आलोक में आगामी बिहार विधान सभा आम चुनाव-2015 में विधि-व्यवस्था बनाये रखने/ शांतिपूर्ण वातावरण में मतदान सुनिश्चित कराये जाने के निमित्त जिला के एवं जिले में रह रहे अन्य जिलों के सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के शस्त्रों/ शस्त्र दुकाने एवं गोली(कारतूस) का शत-प्रतिशत भौतिक सत्यापन दिनांक 31-07-2015 के पूर्व कराये जाने का निदेश प्राप्त हुआ है। प्राप्त निदेश के आलोक में सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को आदेश दिया जाता है कि वे अपने-अपने शस्त्र का भौतिक रूप से सत्यापन संबंधित थानों में निर्धारित तिथि/ समय पर उपस्थित होकर भौतिक सत्यापन करवाना सुनिश्चित करेंगे। जिन अनुज्ञप्तिधारियों के द्वारा उक्त आदेश का अनुपालन नहीं सुनिश्चित किया जायेगा, उनके विरूद्ध निर्वाचन आचार संहिता एवं शस्त्र अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत उनके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उनकी अनुज्ञप्ति को निलंबित/ रद्द कर दी जायेगी।

सभी अंचल अधिकारियों को आदेश दिया जाता है कि वे अपने-अपने क्षेत्राधीन पड़नेवाले थानों के शस्त्र दुकानों, अनुज्ञप्तिधारियों के शस्त्र अनुज्ञप्ति एवं शस्त्र/ कारतूसों को थानावार, तिथिवार शत-प्रतिशत भौतिक सत्यापन प्रत्येक दिन दिनांक 24-07-2015 से 27-07-2015 तक 10:00 बजे पूर्वा० से 05:00 बजे अप० तक करना सुनिश्चित करेंगे। सभी थानाध्यक्षों को निदेश दिया जाता है कि वे अपने स्तर से सभी अनुज्ञप्तिधारियों को निर्धारित तिथि की सूचना सम्प्रेषित करेंगे तथा इसका व्यापक प्रचार प्रसार भी करायेंगे ताकि कोई अनुज्ञप्तिधारी इससे वंचित नहीं रह सके। साथ ही यह भी निदेश दिया जाता है कि संबंधित अंचल अधिकारी एवं थानाध्यक्ष संयुक्त हस्ताक्षर से भौतिक सत्यापन कराने वाले अनुज्ञप्तिधारियों एवं भौतिक सत्यापन नहीं कराने वाले अनुज्ञप्तिधारियों की अलग- अलग सूची तैयार कर हर हालत में दिनांक 28-07-2015 की संध्या 05:00 बजे तक निश्चित रूप से जिला शस्त्र शाखा, मधेपुरा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा/ उदाकिशुनगंज को निदेश दिया जाता है कि वे अपने स्तर से भी सभी अंचल अधिकारियों को तदनुसार भौतिक सत्यापन हेतु कार्य दिवस निर्धारित करने हेतु संसूचित करेंगे तथा सभी अंचल अधिकारियों से प्रत्येक दिन शस्त्रों की किए गए भौतिक सत्यापन से संबंधित प्रतिवेदन (संख्या में) प्राप्त कर समेकित प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी एवं उप निर्वाचन पदाधिकारी, मधेपुरा को विशेष दूत/ फैक्स के माध्यम से भेजना सुनिश्चित करेंगे।

इसकी सूचना संबंधितों को दी जाय।

ह०/-
जिला दंडाधिकारी
-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक 138 /शस्त्र, मधेपुरा, दिनांक 20.06.2015

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अपने स्तर से भी सभी थानाध्यक्षों को निदेशित करने का कष्ट किया जाय।

प्रतिलिपि : उप निर्वाचन पदाधिकारी, मधेपुरा/ सभी अनुमंडल पदाधिकारी/ सभी अंचल अधिकारी/ सभी थानाध्यक्ष/ सभी बी०डी०ओ०/ अध्यक्ष मधेपुरा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। इसकी सूचना सभी कार्यालय भवनों/बस स्टैंड/ रेलवे स्टेशनों/ सार्वजनिक स्थलों के सूचना पट्ट पर जन साधारण की जानकारी हेतु चिपकायी जाय।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं मधेपुरा जिला के वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित। उन्हें निदेश दिया जाता है कि बिहार के सभी प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाने हेतु आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि : अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना को उनके पत्रांक 2399 दिनांक 17-06-2015 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

जिला दंडाधिकारी
-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी,
मधेपुरा।